



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169472

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2454 वर्ष 2026

किशोर एक्स

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता: शैलेन्द्र कुमार राय

विपक्षी पक्षकार(गण) की ओर से अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और विपक्षी पक्षकार/सूचनाकर्ता की ओर से वकालतनामा दाखिल किया तथा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने पिता के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 102 के अंतर्गत (जिसे आगे "कि.न्या. अधिनियम, 2015" कहा गया है) इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण स्वीकार किया जाए और विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बालकों का संरक्षण अधिनियम), न्यायालय संख्या 1/किशोर न्यायालय, गाजीपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 21/2025 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.03.2026 तथा किशोर न्याय बोर्ड, गाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 को अपास्त किया जाए। आगे यह भी प्रार्थना की गई है कि थाना दिलदारनगर, जनपद गाजीपुर के मुकदमा अपराध संख्या 187/2026, धारा 65(1), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में अपचारी की आयु लगभग 17 वर्ष थी और वह कृत्य की प्रकृति को समझने की स्थिति में नहीं था। पीड़िता की आयु भी लगभग 17 वर्ष थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, विवाह के बहाने पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए गए थे। जब उसने विवाह करने से इनकार कर दिया, तब पीड़िता द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया, यहाँ तक कि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय ने भी इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना और उक्त अधिनियम की धारा 12 में निहित विधि पर विचार किए बिना जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपचारी के अन्य अपराधियों की संगति में शामिल होने की संभावना की आशंका का उल्लेख विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश में किया गया है और अपीलीय न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, जबकि अभिलेख पर उपलब्ध परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में ऐसी कोई संभावना व्यक्त नहीं की गई है। अपचारी दिनांक 22.10.2025 से किशोर देखभाल गृह में है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, अतः किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने और आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया। विपक्षी पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि पुनरीक्षणकर्ता और पीड़िता के परिवार इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों के वयस्क होने की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उनका विवाह करा दिया जाएगा। इस प्रकार, पक्षकारों के बीच विवाद का निपटारा हो गया है, अतः उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों, अभिलेख के परिशीलन, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों, परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु, पीड़िता के कथन और आयु को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 04.02.2026 तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पारित आदेशों को एतद्वारा **अपास्त** किया जाता है और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

यह निर्देशित किया जाता है कि अपचारी/आवेदक को पुनरीक्षणकर्ता (अपचारी के पिता) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए, निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (i) पुनरीक्षणकर्ता/पिता इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात् पुनरीक्षणकर्ता को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और आगे पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी।
- (ii) पुनरीक्षणकर्ता/पिता इस आशय का एक और वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे कि किशोर उचित स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखेगा, जिसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अनुत्पादक तथा अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iii) किशोर तथा पुनरीक्षणकर्ता/पिता प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर रिपोर्ट करेंगे।
- (iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

(न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा)

12 अगस्त, 2026

अशोक गुप्ता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”